

**कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)**  
**:: कार्य विभाजन आदेश ::**

क्रमांक- 32-एक-दो-01)07

सागर, दिनांक - 20/04/2023

मैं अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0) सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 194, 381 (2) और धारा 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिष्ठित (सुपरसेशन) करते हुए, इस न्यायिक जिला सागर में पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के समस्त न्यायाधीशों के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों का तथा अन्य न्यायाधीशों के मध्य सिविल कार्य का विभाजन निम्नानुसार करता हूं। यह आदेश दिनांक- 21/04/2023 से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व, जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित है या प्रस्तुत हुआ है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क. (01)	न्यायालय का नाम व स्थान  (02)	क्षेत्राधिकार  (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है।  (04)
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर (सागर सत्र खण्ड)	सत्र खण्ड सागर	<p align="center"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सत्र खण्ड सागर से उत्पन्न समस्त प्रकार के सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र</li> <li>धारा 408 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन आवेदन</li> <li>मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रकरण</li> <li>सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रकरण</li> <li>किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं 2015 से उद्भूत अपील प्रकरण</li> <li>ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सागर के आदेशों से उत्पन्न अपील। (ग्राम न्यायालय-खुरई को छोड़कर)</li> <li>खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित समस्त निर्णय/आदेशों से उत्पन्न अपीलें।</li> <li>ऐसे अन्य समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारित हों एवं जिनका उल्लेख कार्य-विभाजन पत्रक में ना हो।</li> </ol> <p align="center"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>नियमित सिविल वाद प्रकरण जो रूपये 75,00,000,00/- अंकन रूपये पचहत्तर करोड से अधिक मूल्य के हों, बैंक रिकवरी प्रकरणों को छोड़कर व उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां तहसील खुरई, बीना, रहली, बंडा, देवरी, गढाकोटा, शाहगढ, केसली एवं मालथौन को छोड़कर</li> </ol>

			<p>10. न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर एवं षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</p> <p>11. समस्त व्यवहार न्यायाधीशगण वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित समस्त ऐसे निर्णय एवं डिक्री की अपीलें, जिनमें स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष शासन के विरुद्ध अथवा किसी स्थानीय निकाय, प्राधिकरण अथवा नगर निगम के विरुद्ध प्रदत्त किया गया हो।</p> <p>12. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें</p> <p>13. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 उपधारा (5) के अंतर्गत याचिकायें।</p> <p>14. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (तहसील खुरई, बीना, रहली, बण्डा देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, केसली, मालथौन तथा परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>15. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (तहसील खुरई, बीना, रहली, बण्डा देवरी, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, केसली, मालथौन तथा परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>16. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें</p> <p>17. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें</p> <p>18. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां</p> <p>19. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अधीन अपीलें एवं छावनी निर्वाचन नियम, 2007 के नियम 55 के अधीन निर्वाचन अर्जी।</p> <p>20. तहसील सागर से उत्पन्न भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।</p> <p>21. धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1906 के अधीन आवेदन पत्र</p> <p>22. अन्य किसी ऐसे अधिनियम के अधीन सभी प्रकरण (जिला न्यायाधीश स्तर के सुनवायी योग्य), जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में ना हो</p> <p>23. पुलिस आरक्षी केन्द्र केन्टोन्मेंट सागर के थाना क्षेत्र</p>
--	--	--	---

			से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।
02.	विशेष न्यायाधीश सागर अंतर्गत एस.सी./एस. टी. एक्ट	सत्र खण्ड सागर	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संपूर्ण सत्र खण्ड सागर के संबंधित एस.सी./एस. टी. एक्ट, 1989 के अंतर्गत समस्त विशेष प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र। <b>नोट</b>—जमानत एवं रिमाण्ड सीधे (विशेष न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत) प्रस्तुत होकर उनके यहां पंजीबद्ध किये जावेंगे।</li> <li>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</li> </ol>
03.	विशेष न्यायाधीश सागर अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर	सत्र खण्ड सागर	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ऐसे सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र।</li> </ol>
04.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर	जिला मुख्यालय सागर	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>2. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन दिनांक 21.03.2017 के अनुक्रम में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों से संबंधित प्रकरण।</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</li> <li>4. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 1,00,00,001 /— अंकन एक करोड़ एक रुपये से 2,50,00,000 /—रुपये ढाई करोड़ रुपये मूल्य तक के हों, (बैंक रिकवरी प्रकरणों को छोड़कर) व उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>5. पुलिस आरक्षी केन्द्र <b>सिविल लाईन, पदमाकर नगर एवं गोपालगंज</b> के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां।</li> <li>6. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें</li> <li>7. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</li> <li>8. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न</li> </ol>

			<p>कार्यवाहियां।</p> <p>9. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>10. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां</p> <p>11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>12. तहसील सागर से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण</p> <p>13. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>14. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</p> <p>15. विधि विभाग भोपाल की अधिसूचना अनुसार सिविल जिला सागर के लिये विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 20-बी के अधीन सिविल जिला सागर से संबंधित रुपये 1 करोड से अधिक के समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>16. न्यायालय नवम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों (विशेष प्रकरण पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p>
05.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	सत्र खण्ड सागर	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर की अधिसूचना क्रं ए/1806/111-6-5/2010 (एफ.टी.एस. सी.एस.) सी.एस.एस. जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुक्रम में आरक्षी केन्द्र मकरोनिया, सिविल लाईन, गोपालगंज, बहेरिया, नरयावली, जैसीनगर, कोतवाली, जी०आर०पी० एवं महिला थाना सागर से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहियां जमानत याचिका सहित।</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p>

06.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर	जिला मुख्यालय सागर	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>2. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</li> <li>4. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 2,50,00,001/- अंकन ढाई करोड एक रुपये से 5,00,00,000/- रुपये पांच करोड रुपये मूल्य के हों, (बैंक रिकवरी प्रकरणों को छोड़कर) व उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>5. पुलिस आरक्षी केन्द्र मोतीनगर एवं बहेरिया के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां ।</li> <li>6. ऐसे सभी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय जो कि किसी अन्य जिला न्यायाधीश को आवंटित नहीं है एवं तृतीय व दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</li> <li>7. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>8. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें</li> <li>9. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</li> <li>10. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।</li> <li>11. फास्ट ट्रेक न्यायालय सागर एवं ऐसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय एवं प्रशिक्षु जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जो कि पूर्व में कार्यरत थे, के द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियां</li> </ol>
7.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिला मुख्यालय सागर	रिक्त न्यायालय
08.	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिला मुख्यालय सागर	रिक्त न्यायालय

09.	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिला मुख्यालय सागर	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>3. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 15,00,00,001 /- अंकन पंद्रह करोड एक रुपये से 50,00,0,000 /- रुपये पचास करोड रुपये मूल्य के हों, (बैंक रिकवरी प्रकरणों को छोड़कर) व उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>4. पुलिस आरक्षी केन्द्र <b>सुरखी एवं राहतगढ़</b> थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां ।</p> <p>5. न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर, न्यायालय सप्तम एवं अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</p> <p>6. मुख्यालय सागर में पदस्थ प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं पूर्व में पदस्थ रहे प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</p> <p>7. अन्य जिला स्थापनाओं से प्राप्त होने वाले निष्पादन प्रकरण जो कि जिला मुख्यालय सागर के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, स्वतः न्यायालय में संस्थित माने जावेगें।</p> <p>8. न्यायालय षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यावाहियां (न्यायालय रिक्त रहने तक)</p>
10.	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर	जिला मुख्यालय सागर	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/3987/(NDPS)III-6-3/89 जबलपुर दिनांक 29.10.2022 के अनुक्रम में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का</p>

			<p>संख्यांक 61) के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</p> <p>3. म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक F.No./4777/21-B(1)/2022 भोपाल दिनांक 15.12.2022 के अनुक्रम में धारा 22(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>5. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 50,00,00,001 /- अंकन पचास करोड एक रुपये से 75,000,00,01 /- रुपये पचहत्तर करोड रुपये मूल्य के हों, (बैंक रिकवरी प्रकरणों को छोड़कर) व उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>6. न्यायालय नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</p> <p>7. पुलिस आरक्षी केन्द्र जैसीनगर एवं कोतवाली थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां ।</p> <p>8. न्यायालय तृतीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों (विशेष प्रकरण पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p>
11.	विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सागर	सत्र खण्ड सागर	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/1806/111-6-5/2010 (एफ.टी.एस. सी.एस.) सी.एस.एस. जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुक्रम में पुलिस आरक्षी केन्द्र केण्ट, मोतीनगर, राहतगढ़, सुरखी एवं सानौधा से उद्भूत होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रकरण व रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहियां जमानत याचिका सहित।</p> <p>3. तृतीय अति0 सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय को प्रदत्त पुलिस आरक्षी केन्द्रों को छोड़कर शेष संपूर्ण जिला सागर (बण्डा, रहली, खुरई, देवरी, बीना, गढाकोटा) से संबंधित एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट 1989 के साथ</p>

			<p>लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2021 के सभी विशेष मामले व उनसे संबंधित रिमाण्ड स्तर से समस्त कार्यवाहियां जमानत याचिका सहित।</p> <p><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p>
12.	विशेष न्यायाधीश क्रं 10 सागर अंतर्गत विद्युत अधिनियम, एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर	जिला मुख्यालय सागर	<p><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सागर से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</p> <p><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>4. न्यायालय पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</p>
13.	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सागर	जिला मुख्यालय सागर	<p><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. जिला मुख्यालय सागर से संबंधित रेप, गैंग रेप, रेप विद मर्डर एवं उससे संबंधित अन्य प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</p> <p><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>4. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 5,00,00,001/- अंकन पांच करोड़ एक रुपये से 15,00,00,000/- रुपये पन्द्रह करोड़ रुपये मूल्य के हों, (बैंक रिकवरी प्रकरणों को छोड़कर) व उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>5. पुलिस आरक्षी केन्द्र नरयावली एवं सानौधा थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां ।</p> <p>6. न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायालय द्वितीय एवं षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने</p>

			<p>वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण।</p> <p>7. ऐसे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जो कि अन्य किसी जिला न्यायाधीश को आवंटित नहीं हैं के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</p> <p>8. म0प्र0पब्लिक ट्रस्ट एक्ट से संबंधित रूपये 1,00,000,00/- अंकन एक करोड से अधिक के प्रकरण</p> <p>9. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/-अंकन पांच सौ रूपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</p> <p>10. न्यायालय पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यावाहियां (न्यायालय रिक्त रहने तक)</p>
14.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बंडा	तहसील बण्डा एवं शाहगढ़	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें।</p> <p>3. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बंडा/श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण</p> <p>4. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील बंडा क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>6. तहसील बंडा से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रूपये से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यावाहियां, बैंक रिकवरी प्रकरणों को छोडकर</p> <p>7. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यावाहियां</p> <p>8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड</p>

			<p>बंडा एवं श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण</p> <p>9. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें</p> <p>10. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण</p> <p>11. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/-अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</p> <p>12. तहसील बंडा एवं शाहगढ़ थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>13. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>14. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>15. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>16. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>17. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>18. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न, तहसील बंडा, एवं शाहगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>19. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>20. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।</p> <p>21. नगर दण्डाधिकारी बंडा के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 133, 149, 145 एवं 151 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>22. तहसील बंडा से उत्पन्न मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां</p> <p>23. प्रोबेट पिटीशन से संबंधित मामले</p> <p>24. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा</p>
--	--	--	---

			मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें
15.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खुरई	तहसील खुरई एवं मालथौन	(रिक्त न्यायालय)
16.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खुरई	तहसील खुरई एवं मालथौन	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>2. तहसील खुरई एवं मालथौन से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें।</li> <li>3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण</li> <li>4. आरक्षी केन्द्र खुरई, जी.आर.पी.खुरई, बांदरी एवं फॉरेस्ट एक्ट से उत्पन्न होने वाले जमानत संबंधी आवेदन पत्र।</li> <li>5. तहसील खुरई से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित प्रकरण</li> <li>6. नगर दण्डाधिकारी खुरई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 133, 149, 145 एवं 151 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</li> <li>8. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000.00/- अंकन पांच करोड रूपये से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां बैंक रिकवरी प्रकरणों को छोड़कर</li> <li>25. पुलिस आरक्षी केन्द्र खुरई एवं बांदरी थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</li> <li>9. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) के न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण</li> </ol>

			<p>10. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>11. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 24 एवं 26 के अधीन कार्यवाहियां</p> <p>12. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।</p> <p>13. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण एवं प्रोबेट पिटीशन</p>
17.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खुरई	तहसील खुरई एवं मालथौन	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई एवं श्रृंखला न्यायालय मालथौन (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र खिमलासा, मालथौन से उत्पन्न होने वाले जमानत संबंधी आवेदन पत्र (पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>5. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई एवं श्रृंखला न्यायालय मालथौन (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण</p> <p>6. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन रुपये 1,00,000.01/- एक करोड एक रुपये से 5,00,000.00/- अंकन पांच करोड रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>26. पुलिस आरक्षी केन्द्र खिमलासा एवं मालथौन थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>7. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p>

			<p>8. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>9. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>10. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>11. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां</p> <p>13. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>14. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें</p> <p>15. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1,00,00,000 /- अंकन एक करोड रूपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>16. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।</p> <p>17. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500 /- रूपये से अधिक एवं 1000 /- रूपये से कम हो।</p> <p>18. समस्त रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों से संबंधित कार्य।</p> <p>19. भू अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित प्रकरण</p> <p>20. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें।</p>
18.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बीना	तहसील बीना	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. तहसील बीना से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें।</p> <p>3. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बीना के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व</p>

			<p>पुनरीक्षण याचिका</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र <b>बीना एवं जी.आर.पी.</b> बीना से उत्पन्न समस्त जमानत संबंधी आवेदन पत्र।</p> <p>5. पूर्व पदस्थ, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों से संबंधित समस्त कार्य।</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>7. सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रूपये से अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>8. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>9. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बीना द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण</p> <p>10. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण</p> <p>11. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण</p> <p>12. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/-अंकन पांच सौ रूपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</p> <p>13. पुलिस आरक्षी केन्द्र <b>बीना एवं जी.आर.पी.</b> बीना थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>14. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोडकर)</p> <p>15. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)</p> <p>16. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>18. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के</p>
--	--	--	---

			<p>अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>19. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां</p> <p>20. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>21. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें</p> <p>22. भू अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित प्रकरण</p> <p>23. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।</p> <p>24. नगर दण्डाधिकारी बीना के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>25. तहसील बीना से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण</p> <p>26. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।</p>
19.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बीना	तहसील बीना	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. तहसील बीना से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित प्रकरण (माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से)</p> <p>3. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र <b>भानगढ़ एवं आगासौद</b> से उत्पन्न होने वाले जमानत संबंधी आवेदन पत्र (पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>6. पुलिस आरक्षी केन्द्र <b>भानगढ़ एवं आगासौद</b> थाना क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>7. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 से संबंधित प्रकरण</p> <p>8. प्रोबेट पिटीशन</p>

			<p>9. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण</p> <p>10. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1,00,00,000 /- अंकन एक करोड रूपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>11. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें</p> <p>12. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बीना द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से संबंधित निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील प्रकरण</p> <p>13. तहसील बीना से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां</p>
20.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवरी	तहसील देवरी एवं केसली	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. पुलिस आरक्षी केन्द्र देवरी एवं गौरझामर से उत्पन्न सत्र विचारण प्रकरण एवं जमानत याचिकायें</p> <p>3. तहसील देवरी एवं केसली से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें।</p> <p>4. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त अपीलें व पुनरीक्षण याचिका</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>6. रूपये 50000001 /- अंकन पांच करोड एक रूपये एवं उससे अधिक के सिविल वाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>7. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत समस्त नियमित एवं विविध अपीलें</p> <p>8. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>9. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण</p> <p>10. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील</p>

			<p>प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें</li> <li>12. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/- अंकन पांच सौ रूपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</li> <li>13. थाना देवरी एवं गौरझामर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>14. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</li> <li>15. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</li> <li>16. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</li> <li>17. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</li> <li>18. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</li> <li>19. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 192 से 195 के अधीन क्यूरेटर से संबंधित कार्यवाहियां</li> <li>20. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</li> <li>21. बालकों के देखरेख एवं उनके संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं 2015, दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अपीलें</li> <li>22. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रूपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</li> <li>23. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।</li> <li>24. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रूपये से अधिक का हो।</li> <li>25. नगर दण्डाधिकारी देवरी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।</li> <li>26. तहसील देवरी से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां</li> <li>27. भू अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित प्रकरण</li> </ol>
21.	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवरी	तहसील देवरी एवं	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण,</li> </ol>

	<p>के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश देवरी</p>	<p>केसली</p>	<p>विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी एवं केसली (श्रृंखला न्यायालय केसली सहित) के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित आपराधिक अपील प्रकरण एवं पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>3. पुलिस आरक्षी केन्द्र <b>केसली एवं महाराजपुर</b> से उत्पन्न सत्र विचारण प्रकरण एवं जमानत याचिकायें (पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील देवरी क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>6. पुलिस आरक्षी केन्द्र <b>केसली एवं महाराजपुर</b> के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त प्रकृति के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>7. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी एवं केसली (श्रृंखला न्यायालय केसली सहित) के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें</p> <p>8. रुपये 10000001/- अंकन एक करोड एक रुपये से 50000000/- अंकन पांच करोड रुपये तक के सिविल वाद प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>9. तहसील केसली से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण</p> <p>10. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिभार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।</p>
<p>22.</p>	<p>द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहली</p>	<p>तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा</p>	<p style="text-align: center;"><b>आपराधिक प्रकरण</b></p> <p>1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>2. तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमांड स्तर से समस्त मामले एवं उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाहियां एवं जमानत याचिकायें।</p> <p>3. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका</p>

		<p>4. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां</p> <p>5. पुलिस आरक्षी केन्द्र रहली एवं गढ़ाकोटा थाना क्षेत्रों से उत्पन्न जमानत याचिकायें</p> <p style="text-align: center;"><b>व्यवहार प्रकरण</b></p> <p>6. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां</p> <p>7. तहसील रहली से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1,00,000,01/- अंकन एक करोड़ एक रुपये या उससे अधिक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>8. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>9. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण के द्वारा निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों से संबंधित कार्य</p> <p>10. समस्त (वर्तमान व पूर्व पदस्थ) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें</p> <p>11. भाडा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रकरण</p> <p>12. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, के अंतर्गत अपील प्रकरण</p> <p>13. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/-अंकन पांच सौ रुपये से 1000/- अंकन एक हजार तक का हो।</p> <p>14. पुलिस आरक्षी केन्द्र रहली एवं गढ़ाकोटा थाना क्षेत्रों से उत्पन्न समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>15. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें</p> <p>16. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से उत्पन्न, तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>17. हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>18. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>19. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पन्न कार्यवाहियां।</p> <p>20. संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित प्रकरण</p> <p>21. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के अंतर्गत</p>
--	--	--

			<p>समस्त प्रकरण (परिवार न्यायालय सागर के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>22. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण</p> <p>23. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न मामले एवं कार्यवाहियां।</p> <p>24. नगर दण्डाधिकारी रहली के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित आदेशों से उत्पन्न दांडिक अपील एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिकायें।</p> <p>25. तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से उत्पन्न म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां</p> <p>26. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्वाचन याचिकायें</p> <p>27. प्रोबेट पिटीशन से संबंधित मामले</p> <p>28. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307 उपधारा (5) के अंतर्गत याचिकायें।</p> <p>29. भू-अर्जन के अंतर्गत सभी मामले एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन आवेदन/निर्देश।</p> <p>30. तहसील रहली एवं गढ़ाकोटा से संबंधित उत्तराधिकार अधिनियम, के तहत उत्पन्न अपील प्रकरण</p>
23.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <p>2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 60,00,001/- अंकन साठ लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>3. न्यायालय पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>4. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के न्यायालय से संबंधित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>5. न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (न्यायालय रिक्त /अवकाश पर रहने तक)</p>
24.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	जिला मुख्यालय	<p>1. प्रधान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा समय समय</p>

	सागर	सागर	<p>पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 60,00,000/- अंकन साठ लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. ग्राम न्यायालय सागर से संबंधित समस्त प्रकरण</li> <li>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण</li> <li>5. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रुपये तक हो।</li> <li>6. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित ऐसी समस्त कार्यवाहियां जिनके लिये किसी भी अन्य व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</li> <li>7. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को अधिकृत ना किया गया हो।</li> </ol>
25.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
26.	प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड सागर	सत्र खण्ड सागर	1. किशोर न्यायालय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015) से संबंधित मामले एवं विविध कार्यवाहियां
27.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
28.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</li> <li>2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (जनवरी 2024)</li> <li>3. ऐसी सिविल कार्यवाहियां जिनके विचारण हेतु अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</li> </ol>
29.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</li> <li>2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (माह फरवरी 2024)</li> </ol>
30.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश	जिला	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा

	कनिष्ठ खण्ड सागर	मुख्यालय सागर	समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां । 3. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (माह मार्च एवं अप्रैल 2024)
31.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (माह अप्रैल एवं मई 2023)
32.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (माह जून एवं जुलाई 2023) 3. समस्त रिक्त प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के न्यायालय के निर्णीतशुदा प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
33.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 3. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो। 4. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण 5. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (माह अगस्त 2023)
34.	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2023)

			3. मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।
35.	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (माह नवम्बर 2023)
36.	दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (माह दिसम्बर 2023)
37.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा	तहसील मुख्यालय बण्डा	(रिक्त न्यायालय)
38.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा	तहसील मुख्यालय बण्डा	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. पूर्व में पदस्थ रहे ऐसे समस्त न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बण्डा/श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ के न्यायालय, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण। 5. तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ से संबंधित भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो 6. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण 7. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के
39.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा	तहसील मुख्यालय बण्डा	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. तहसील शाहगढ़ से संबंधित रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच

			<p>लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. तहसील बण्डा से संबंधित रुपये 2,50,001/- अंकन ढाई लाख एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (क्षेत्र शाहगढ़ को छोड़कर)</li> <li>4. तहसील शाहगढ़ से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</li> <li>5. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</li> <li>6. श्रृंखला न्यायालय अवधि उपरांत प्रकरणों का संस्थापन न्यायालय सुश्री प्रिया गुप्ता व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बंडा के नियमित न्यायालय में होगा।</li> </ol>
40.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा के प्रथम अति0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बण्डा	तहसील मुख्यालय बण्डा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. तहसील बण्डा से संबंधित रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 2,50,000/- अंकन ढाई लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां (क्षेत्र शाहगढ़ को छोड़कर)</li> <li>3. तहसील बण्डा से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</li> <li>4. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</li> <li>5. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</li> <li>6. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</li> <li>7. पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय बण्डा, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां</li> </ol>
41.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीना	तहसील मुख्यालय बीना	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 50,00,000/- अंकन पचास लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. श्री संतोष तिवारी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ</li> </ol>

			खण्ड एवं श्री संतोष तिवारी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से उत्पन्न होने वाली समस्त कार्यवाहियां।
42.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बीना	तहसील मुख्यालय बीना	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 50,00,001/- अंकन पचास लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण</li> <li>4. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रुपये तक का हो</li> <li>5. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण</li> <li>6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के</li> <li>7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीना द्वारा विचारणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</li> </ol>
43.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बीना	तहसील मुख्यालय बीना	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</li> <li>4. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</li> <li>5. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय बीना, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां</li> <li>6. तहसील बीना से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</li> <li>7. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</li> </ol>

			8. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।
44.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी	तहसील मुख्यालय देवरी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. तहसील देवरी एवं केसली से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण</li> <li>4. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रुपये तक का हो</li> <li>5. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण</li> <li>6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के</li> <li>7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवरी द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</li> </ol>
45.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश देवरी	तहसील मुख्यालय देवरी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. तहसील देवरी से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रुपये से 2,50,000/- अंकन दो लाख पचास हजार रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. तहसील देवरी से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</li> </ol>
46.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी	तहसील मुख्यालय देवरी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. तहसील देवरी ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 2,50,001/- दो लाख पचास हजार एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</li> <li>4. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवरी द्वारा विचाराणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग के लिये अधिकृत ना किया</li> </ol>

			गया हो।
47.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केसली	तहसील मुख्यालय केसली	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. लघुवाद प्रकरण रुपये 200/- अंकन दो सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</li> <li>4. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केसली (श्रृंखला न्यायालय सहित), जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न समस्त विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>5. तहसील केसली से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</li> <li>6. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</li> <li>7. दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक का हो।</li> </ol>
48.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली	तहसील मुख्यालय रहली	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. तहसील रहली एवं गढाकोटा से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण</li> <li>4. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड रुपये तक का हो</li> <li>5. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण</li> <li>6. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के</li> <li>7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</li> <li>8. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां।</li> </ol>
49.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश	तहसील	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा</li> </ol>

	कनिष्ठ खण्ड रहली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश रहली	मुख्यालय रहली	<p>समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. तहसील रहली से संबंधित रूपये 1/- अंकन एक रूपये से रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>3. लघुवाद प्रकरण रूपये 200/- अंकन दो सौ रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</p> <p>4. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1/- अंकन एक रूपये से लेकर रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के प्रकरण</p> <p>5. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- अंकन एक रूपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो</p> <p>6. तहसील रहली से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</p> <p>7. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां।</p>
50.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा	तहसील मुख्यालय गढ़ाकोटा	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रूपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>3. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>4. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1/- अंकन एक रूपये से लेकर रूपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक के प्रकरण</p> <p>5. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- अंकन एक रूपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख रूपये तक का हो</p> <p>6. तहसील गढ़ाकोटा से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</p> <p>7. लघुवाद प्रकरण रूपये 200/- अंकन दो सौ रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण</p>
51.	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा	तहसील मुख्यालय गढ़ाकोटा	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
52.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई के	तहसील मुख्यालय	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>


	न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई	खुरई	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. तहसील खुरई एवं मालथौन से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,00,000/- एक करोड़ तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहिया</li> <li>3. तहसील खुरई में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>4. ग्राम न्यायालय अधिनियम, से संबंधित प्रकरण तहसील खुरई</li> <li>5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग 10 के अंतर्गत प्रकरण</li> <li>6. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 1,00,000,00/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो</li> <li>7. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 172 के अंतर्गत अपील प्रकरण</li> <li>8. लघुवाद प्रकरण रुपये 201/- अंकन दो सौ एक रुपये से रुपये 500/- अंकन पांच सौ रुपये के मूल्यांकन के</li> </ol>
53.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई	तहसील मुख्यालय खुरई	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> <li>2. तहसील खुरई से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 2,50,001/- दो लाख पचास हजार एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख पचास हजार रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>3. तहसील मालथौन से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रुपये से 5,00,000/- अंकन पांच लाख पचास हजार रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> <li>4. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई एवं उनके पूर्वाधिकारी के क्षेत्रांतर्गत आने वाला समस्त कार्य जिसमें विचाराधीन ऐसे प्रकरण एवं कार्यवाहियां जिनके निराकरण हेतु किसी अन्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के लिये अधिकृत ना किया गया हो।</li> <li>5. तहसील मालथौन से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</li> <li>6. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड श्रृंखला न्यायालय मालथौन द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</li> </ol>
53.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तहसील मुख्यालय	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</li> </ol>

	खुरई	खुरई	<p>2. लघुवाद प्रकरण रूपये 200/- अंकन दो सौ एक रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण।</p> <p>3. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/- एक रूपये से 2,50,000/- अंकन दो लाख पचास हजार रूपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p> <p>4. तहसील खुरई से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र।</p> <p>5. तहसील खुरई में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां</p>
--	------	------	--

**नोट—**

1. पंजीयन अनुभाग में पंजीयन उपरांत संबंधित प्रकरण, इस कार्य विभाजन के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक का पूर्व से लंबित दावे के श्रवणाधिकार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् उक्त मामले यथावत् जिस न्यायालय में लंबित हैं, उसी न्यायालय में ही विचारित किये जावेंगे।
3. इस कार्य विभाजन पत्रक का न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
4. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड को कार्य विभाजन का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर रहेगा।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के दौरान प्रस्तुत होने वाले द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती तथा सहअभियुक्त के नियमित एवं अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय, जिसने पूर्ववर्ती जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया था, के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के न्यायालय में अंतरित किये गये समझे जायेंगे और उन्हीं के द्वारा सुने जाकर अंतिम रूप से निराकृत किये जायेंगे।
6. न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां (विशेष प्रकरण अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को छोड़कर) न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश के तृतीय अति० जिला न्यायाधीश, सागर के न्यायालय में संपादित होंगी।
7. न्यायालय तृतीय जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से (विशेष प्रकरण पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां न्यायालय अष्टम जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय में संस्थापित होकर निराकृत की जावेंगी।
8. न्यायालय नवम जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा प्रकरणों से (विशेष प्रकरण पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां न्यायालय द्वितीय जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय में संस्थापित होकर निराकृत की जावेंगी।
9. फास्ट ट्रेक न्यायालय सागर एवं ऐसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय एवं

प्रशिक्षु जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, जो कि पूर्व में कार्यरत थे, के न्यायालय से संबंधित समस्त निराकृत सिविल कार्य, सत्र प्रकरण, अपीलें, पुनरीक्षण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निराकृत होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में पारित आदेशों का पालन एवं अग्रिम कार्यवाही चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर के द्वारा संपादित की जावेगी।

  
(अरुण कुमार सिंह)


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)

1924

पृष्ठांकन क्रमांक (एक-दो-01)07  
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 20/04/2023

1. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
2. समस्त न्यायालय, जिला स्थापना सागर।
3. कोर्ट मैनेजर, सागर।
3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर/बण्डा/बीना/देवरी/केसली/खुरई/मालथौन/शाहगढ़/रहली/गढ़कोटा।
4. केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
5. निष्पादन लिपिक/प्रस्तुतकार जिला न्यायालय, सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, सागर की ओर संबंधितों की ओर ईमेल करने एवं ई-कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

  
(अरुण कुमार सिंह)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सागर (म.प्र.)

